इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

### ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी 2025—फाल्गुन 6, शक 1946

## सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2025

क्र. एफ-1-1-7-0001-2025-छब्बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, कॉलम (2) में, अनुक्रम 8 के सामने, मद 2 में विद्यमान शब्द ''समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''सामाजिक सुरक्षा अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

No. F-1-1-7-0001-2025-XXVI-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare Class-III (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2015, namely:—

#### **AMENDMENT**

In the said rules, in Schedule-IV, in column (2), against serial number 8, in item 2, for the existing words "Mass Social Security Extension Officer", the words "Social Security Officer" shall be substituted.

क्र. एफ-1-1-7-0001-2025-छब्बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :—

#### संशोधन

#### उक्त नियमों में,

- (1) अनुसूची—एक में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 2 के सामने, विद्यमान शब्द ''समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''सामाजिक सुरक्षा अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.
- (2) अनुसूची-दो में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 2 के सामने, विद्यमान शब्द ''समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''सामाजिक सुरक्षा अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.
- (3) अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 1 के सामने, विद्यमान शब्द "समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" स्थापित किए जाएं.
- (4) अनुसूची-चार में, कॉलम (3) में, अनुक्रमांक 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 के सामने, विद्यमान शब्द ''समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''सामाजिक सुरक्षा अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

No. F-1-1-7-0001-2025-XXVI-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare Class-III (Executive) (Recruitment and General Conditions of Service) Rules, 2014, namely:—

#### **AMENDMENTS**

#### In the said rules,-

- (1) in Schedule-1, in column (2), against serial number 2, for the existing words "Samagra Samajik Suraksha Vistar Officer", the words "Social Security Officer" shall be substituted.
- (2) In Schedule-II, in column (2), against serial number 2, for the existing words "Samagra Samajik Suraksha Vistar Officer", the words "Social Security Officer" shall be substituted.
- (3) In Schedule-III, in column (2), against serial number 1, for the existing words "Samagra Samajik Suraksha Vistar Officer", the words "Social Security Officer" shall be substituted.
- (4) In Schedule IV, in column (3), against serial numbers 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the existing words "Samagra Samajik Suraksha Vistar Officer", the words "Social Security Officer" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंकिता धाकरे, उपसचिव.